



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28295

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 784/2026

संत कुमार मिश्रा

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भगवान दत्त पांडे, बृजेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2 - तहसीलदार, तहसील-फरेन्दा, जिला महाराजगंज को निर्देश दिया जाए कि वे नामांतरण केस संख्या 8884/2024 (कंप्यूटर केस संख्या T202405470408884) का शीघ्रता से निपटारा करें।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित और उपयुक्त होगा; यह उप-नियम अनिवार्य करता है कि ऐसा आवेदन दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

"(7). तहसीलदार, नामांतरण के निर्विवाद मामलों का निर्णय मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और नामांतरण के

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवादित मामलों का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेंगे; और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा”।

4. उक्त प्रावधान के होते हुए भी, और पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, पूरी तरह से कानून के अनुसार और उसकी अपनी खूबियों के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से करें; और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसा करें, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो, और इस प्रक्रिया में कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी पक्षों की दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।